क्रमांक/एमपीसीवेट/ भोपाल, दिनांक....../04/2017

प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत संपादित किए जाने वाले मेमोरेंडम ऑफ एसोसियेशन (एमओए), मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग (एमओयु) के कानूनी परीक्षण एवं समय–समय पर विधि सलाह हेतु अनुभवी अधिवक्ता के पैनल का संधारण किया जाना है।

इच्छुक आवेदक/फर्म जिनके पास 15 वर्षो का अनुभव हो एवं मध्यप्रदेश शासन के विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों में उपरोक्त कार्यों को संपादित करने का कम से कम 5 वर्षो का अनुभव हो एवं जिनका कार्यालय भोपाल में स्थित हो से आवेदन आमंत्रित किए जाते है एवं इच्छुक अधिवक्ता/फर्म अपना आवेदन बायोडाटा, अनुभव एवं दर प्रतिमाह आदि सहित दिनांक 15 मई, 2017 अपरान्ह 12 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, गैस राहत आईटीआई परिसर, गोविंदपुरा भोपाल–462023 में आवश्यक संलग्नों सहित प्रस्तुत करें। आवश्यक दिशा निर्देश mpskills. gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं
प्रशिक्षण परिषद, भोपाल

कानूनी परीक्षण एवं समय–समय पर विधि सलाह हेतु अधिवक्ता/फर्म के लिए आवश्यक दिशा निर्देशः–

1. कानूनी परीक्षण कार्य हेतु अधिवक्ता फर्म्स को सुरक्षा निधि आवेदन पत्र के साथ राशि 5,000/– डी.डी. के माध्यम से CEO, MPCVET Bhopal के नाम जमा करानी होगी जो कि कानूनी परीक्षण कार्य सम्पूर्ण होने के पश्चात वापस की जावेगी।
2. मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत आवश्यकतानुसार मेमोरेंडम ऑफ एसोसियेशन (एमओए), मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग (एमओयु) के कानूनी परीक्षण एवं समय–समय पर विधिक परामर्श प्रदान करने का कार्य करेंगे।
3. उक्त कानूनी परीक्षण अधिवक्ता फर्म्स का अनुभव कम से कम 15 वर्ष का होना आवश्यक है। जिसमें कम से कम 5 वर्षो का मध्यप्रदेश शासन के विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों में समान कार्यों को संपादित करने का होना आवश्यक है।
4. मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद एवं शासकीय/निजी संस्थाओं के मध्य संपादित किये जाने वाले अनुबंध का लीगल परीक्षण का कार्य संपादित करना एवं शासन के हितों की रक्षा करना।
5. अधिवक्ता फर्म्स का कार्यालय भोपाल में स्थित होना आवश्यक है।
6. अधिवक्ता फर्म्स को सप्ताह में कम से कम दो बार कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है।
7. अति आवश्यक प्रकरणों में दूरभाष पर सूचित कर कभी भी चर्चा के लिये बुलाये जाने पर कार्यालय में आना होगा।
8. अधिवक्ता का कार्यकाल प्रारंभिक 12 माह के लिए होगा। कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में अगामी सेवाऐं बढ़ाये जाने पर विचार किया जायेगा तथा कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में एक माह पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
9. मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के विरूद्व किसी भी प्रकरण में पैरवी नहीं करेंगे एवं न ही किसी को विधिक परामर्श देगें।
10. अधिवक्ता फर्म्स द्वारा दी गई दरें प्रतिमाह के आधार पर दी जावेगी।
11. अधिवक्ता फर्म्स को भुगतान की जाने वाली राशि से नियमानुसार आयकर की कटौत्री की जावेगी।
12. मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की विधि/प्रशासनिक कार्यप्रणाली आदि की जानकारी के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बनाये रखेंगे।

13. मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद एवं शासन के अन्य विभाग एवं प्रायवेट एजेंसी के बीच अनुबंध हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में किय जावेगा अतः संबंधित अधिवक्ता को हिन्दी/अंग्रेजी भाषा का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है।

14. अधिवक्ता चयन उनके कार्य अनुभव म.प्र. शासन/सार्वजनिक उपक्रमों के विभागों में कार्य अनुभव के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर अंतिम निर्णण लिया जावेगा।

15. मिशन/परिषद् के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की आवश्यकतानुसार कानूनी सलाह पर चर्चा एवं सुझाव प्रदान करना।

16. एमपीसीवेट का नाम परिवर्तीत कर एमपीएसएसडीएम किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। नाम परिवर्तीत होने पर एमपीसीवेट के स्थान पर समस्त उपरोक्त कार्य एमपीएसएसडीएम के लिये किये जाना होंगे।

17. किसी भी प्रकार के न्यायिक वाद का क्षेत्र भोपाल न्यायालय होगा।

चयन के मापदण्ड

1. अंतिम तिथि 15 मई, 2017 को अपरान्ह 01 बजे चयन समिति एवं निविदाकारों के समक्ष प्राप्त निविदायें खोली जावेंगी।

2. प्राप्त निविदाओं की मेरिट सूची बनाई जाएगी जिसमें उच्च अनुभव एवं न्यूनतम दरों को दृष्टिगत रखते हुए चयन पर विचार किया जावेगा।

3. उक्त दिनांक को शासकीय अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस में निविदायें खोली जाएंगी।

4. चयनित 01 से अधिक फर्मों की दरें एवं अनुभव एक सा होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमपीसीवेट का निर्णय अंतिम होगा।

5. यदि निविदा में एक ही फर्म निविदा करती है तब उसी की नियुक्ति पर भी निर्णय लिया जा सकता है।

Expression of Interest for short listing Legal Vetting

1.	Name of the firm (in Capital letters)	
2.	Address of the Head Office(Please also give telephone no. and e-mail address)	
3.	PAN No. of the firm	
4.	Service Tax Reg. No	
5.	Bar Council of India Registration No.	
6.	Date of constitution of the firm	
7.	Date since when the firm has a full time	
8.	No. of Partners	
9.	Number of staff	
10.	Number of Branches	
11.	Details of legal Experience of the firm for the last 5 years Govt., PSU. & Banks Audits	
12.	Whether there are any court / arbitration /any other legal case against the firm. (If yes, give a brief note of the case indicating its present starts)	
13.	Security Deposit (D.D. Number and Bank Name)	

Date :……………………………

Advocate firm
Sign with seal
Mobile No.